कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांकः– प्र.स.–01/2016 अपील , रा.लो.से.गा. अधिनियम–2011
आदेश दिनांकः–03.10..2017

—: आदेश :—

श्री भरत लाल सुथार द्वारा राज. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2016 को उपखण्ड़ अधिकारी, छोटी सादड़ी के समक्ष पेश किया गया। उपखण्ड़ अधिकारी छोटी सादड़ी ने निर्धारित समय सीमा तक सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से प्रथम अपील जिला कलक्टर प्रतापगढ़ को प्रेषित की गई । जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी जिला कलक्टर प्रतापगढ़ से अपील पर टिप्पणी चाही गई। जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ने उपखण्ड़ अधिकारी छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ को दिनांक 21.04.2017 को लिखा जाकर राजस्व कार्मिकों की टीम गठित करते हुए नवीनतम मौका रिपोर्ट मय साईट की विधिक स्थिति अनुसार पालना रिपोर्ट आगामी 7 दिवस में अति आवश्यक रुप से तैयार करते हुए सृजित पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति कार्यालय हाजा को भी व्यक्तिशः उपलब्ध करावें। किन्तु समय सीमा तक प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाना अभिलेख से स्पष्ट है।

हमने प्रार्थी को व्यक्तिशः सुना एवं सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी /अपीलार्थी को उपखण्ड़ अधिकारी छोटी सादड़ी द्वारा निर्धारित समय सीमा में चाही गई नकलें उपलब्ध नहीं करायी गई और न ही कोई जानकारी उपलब्ध करायी गई। जिससे राज. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के तहत नियमानुसार शास्ती अधिरोपित करने की कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में राज. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम–2011 के तहत नियमानुसार शास्ती अधिरोपित की कार्यवाही की जावे। राज. लोक सेवा गारन्टी

अधिनियम–2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाती है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

कमांक:– प्र.स.–01 / 2016 रा.लो.से.गा.अधि. / 7812-13 दिनांक: 12 अक्टूम्बर, 2017

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01–प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर प्रतापगढ़।
02–श्री भरत लाल सुथार, निवासी कारुण्डा तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर